

20.12.21

पत्रावली पेश हुई | अप्रार्थी द्वारा  
यूक में जवाब प्रस्तुत किया गया |  
संपादन हेतु आवेदन करने की  
वजह से 177 का प्रार्थनापत्र खारिज

किया गया / तथा 'मूल प्रार्थनापत्र के  
अभाव में 212 के प्रार्थनापत्र का औचित्य  
मही होंके से यह प्रार्थनापत्र भी खाली  
किया जाता है / तथा पत्रावली के लिये  
होकर नंबर से कम की जावे /

उपखण्ड अधिकारी  
बाली, जिला-पाली (राज.)